उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 98/2020/1349/92-2-20-03टीएसी/17(टीसी-1)

लखनऊ:: दिनांक:: 28 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 20-12-2018 व 15-02-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति व अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-84/2019/1169/92-2-19-03टीएसी/17 (टी0सी0-1) दि0 06-06-2019 द्वारा श्री कमल किशोर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती के पत्र संख्या-1073/ग्रा0अ0वि0/ एस0टी0/जांच/19-20 दि0 05-12-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलबध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोपो में से कोई भी आरोप स्थापित नही बताया गया परन्तु शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त कार्यो में शिथिलता एवं पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक से न किये जाने हेतु उत्तरदायी पाते हुये शासन के पत्र सं0-510/92-2-20-03टीएसी/17(टीसी-1) दिनांक 14-02-2020 द्वारा श्री कमल किशोर से उ0प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-06/ दिनांक 26-05-2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री कमल किशोर द्वारा कार्यो के प्रति शिथिलता एवं पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये अपने अभ्यावेदन/द्वितीय बचाव उत्तर में किसी ऐसे नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया है जिससे उन्हे कार्यो के प्रति शिथिलता एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व न किये जाने से मुक्त किया जा सके। अतएव श्री कमल किशोर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 06-06-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें कठोर चेतावनी देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

संख्या-98/2020/1349(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री कमल किशोर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 , उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in